दीपक सुभाषचंद्र मेहता

बनाम

सी. बी. आई. और अन्य

(आपराधिक अपील सं. 348/2012)

10 फरवरी, 2012

(पी. सतशिवम और जे. चेलमेश्वर, जे.जे.)

जमानत-मंजूर-लंबे समय तक जेल हिरासत में रहना। परीक्षण में देरी का प्रभाव अभिनिर्धारित जब मुकदमे के विचारण में देरी होती है, अभियुक्त को जमानत दी जानी चाहिए, हालांकि वही सभी मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए-वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि विभिन्न कारकों के कारण निकट भविष्य मे परीक्षण शुरू होने की संभावना न होने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षण में लंबा समय लग सकता है। अभियुक्त अपीलार्थी 31.03.2010 से हिरासत में है, अंतरिम जमानत की अवधि को छोडकर, अर्थात 15.09.2011 से 30.11.2011 तक, अभियोजन द्वारा एकत्र की गई सामग्रियो को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी सीमा को तय करने के लिए उपयुक्त नहीं है जब विचाराधीन कैदियो को अनिश्चित काल तक जेल हिरासत में रखा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है-अपीलार्थी पर भारी

परिमाण के आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया- साथ ही, हालांकि जांच एजेंसी ने जांच पूरी कर ली थी और अतिरिक्त आरोप पत्र सहित आरोप पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन आवश्यक आरोप तय नही किये गये थे इसलिए, अभिरक्षा में अपीलार्थी की उपस्थिति नहीं हो सकी है आगे की जांच के लिए आवश्यक होगा-उसी को देखते हुए, अपीलार्थी की अनिश्चित स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते हुए, जैसा कि चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय जेल औषधालय के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं। अपीलार्थी सुनवाई लंबित रहने तक जमानत के आदेश का हकदार है। सीबीआई के हितों की रक्षा के लिये कड़ी शर्ते भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 21

जमानत देना न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग करते हुए जमानत देने वाले न्यायालय को विवेक का प्रयोग करना चाहिये। इसका विवेक विवेकपूर्ण तरीके से है न कि किसी निश्चित रूप में हालांकि जमानत देने के चरण में, सबूतो की विस्तृत जांच और मामले की बारिकियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नही है, ऐसे आदेश में इंगित करने की आवश्यकता है प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारण कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर आरोप करने का आरोप है जमानत देने वाले न्यायालय द्वारा विचार किये जाने वाले कारण बताये गये है।

अपीलार्थी पर अन्य व्यक्तियों के साथ बडे पैमाने पर आर्थिक अपराध

का आरोप लगाया गया है और जेल हिरासत में रखा गया है। नियमित बेल के लिये उनका आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था अपीलकर्ता ने एसएलपी दायर की, जिसके बाद इस अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के आश्वासन, कि मुकदमे का विचारण तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जायेगा, को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को जमानत नही दी। लेकिन उसे विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष तीन माह की अवधि के पश्चात् मुकदमे का विचारण जारी रहने पर जमानत आवेदन दायर करने के लिये अनुमति दी गई। हालांकि विचारण समाप्त नही हो सका फिर भी अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र दाखिल किया, आरोप तय नही किये गये। अपीलकर्ता ने नियमित जमानत के लिये एक और आवेदन दायर किया जिसे भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता विभिन्न चिकित्सीय बीमारियों से पीड़ित है और दिनांक 31.03.2010 से हिरासत में है, यद्यपि 15.09.2011 से 30.11.2011 तक की अंतरिम जमानत की छोटी अवधि को छोडकर और उसका प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 239 सीआरपीसी उन्मोचित हेतू लंबित है। दो अन्य अभियुक्तगण की चिकित्सा आधार पर जमानत स्वीकार की गई थी।

वर्तमान अपील में विचार के लिये यह प्रश्न था कि क्या अपीलकर्ता ने नियमित जमानत के लिये मामला बनाया था।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुये।

अभिनिर्धारित: 1.1 एएसजी के आश्वासन के बाद भी मामले की तीन माह की अवधि के अंदर अनुपालना पूर्ण नही होने के कई कारण है। हालांकि आरोप पत्र और अतिरिक्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, इसी बीच में कुछ आरोपियों की अनुपस्थिति के अलावा विभिन्न तिथियों पर कुछ कारणों से या अन्य चिकित्सा आधार पर अपीलकर्ता ने उन्मोचित किये जाने के लिये एक याचिका दायर की है इसके जबावी हलफनामें मे सीबीआई द्वारा कहा गया कि आरोपी व्यक्ति अंतर्गत धारा 239 सीआरपीसी के तहत उन्मोचित के लिये आवेदन किया है और वह सुनवाई तथा निस्तारण हेतु लंबित है तथा माधो मर्चेटाइल बैंक का मामला विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दिन प्रतिदिन के आधार पर विचाराधीन है तथा इसके अलावा शोहराबुदीन फर्जी मुठभेड़ का मामला उसी न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त विशेष सीबीआई अदालत पर अत्याधिक कार्य बोझ है अभियोजन पक्ष के पास मौजूद प्रचुर सामग्री को देखते हुए निःसंदेह परीक्षण में अधिक समय लग सकता है जब मुकदमें मे देरी हो तो आरोपी को जमानत मिलनी चाहिये लेकिन इसे सभी मामलों में यंत्रवत् लागू नही किया जाना चाहिए।

1.2 जमानत देने वाले न्यायालय को इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिये कि किसी विशेष अवधि विषय के रूप में हालांकि

जमानत देने के चरण में विस्तृत जानकारी दी गई है। मामले की साक्ष्य की जांच और विस्तृत दस्तावेजी कारण योजनाओ पर विचार करने की आवश्यकता नही है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, खासकर जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है जमानत देने वाली अदालत को अन्य परिस्थितियों के अलावा कारणों पर भी विचार करना होगा जैसे की आरोप की प्रकृति और दोषसिद्वि के मामले मे सजा की गंभीरता और अपराध की प्रकृति, खतरे की आशंका, आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, इसके अलावा गैर जमानती अपराध में जमानत देने की याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता के अलावा आरोपी के न्याय से भागने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेडछाड की संभावना पर भी ध्यान देना होगा। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नही है और इस तथ्य पर भी कि अपीलकर्ता दिनांक 31.03.2010 से हिरासत में है, अंतरिम जमानत की अवधि को छोडकर, यानी 15.09.2011 से 30.11.2011 तक अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री को ध्यान रखते हुए किसी बाहरी सीमा को तय करना उपयुक्त नही है। जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन होता है। (पैरा 18) (292-ई-एच, 293-ए-सी)

1.3 अपीलार्थी पर अन्य लोगों के साथ बडे पैमाने पर आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया है। हालांकि जांच एजेंसी ने उसमे समय पर जांच पूरी कर ली है और अतिरिक्त आरोप पत्र सहित आरोप पत्र पेश कर दिया है, तथ्य यह है कि आवश्यक आरोप तय नही किये गये है, इसलिए आगे की जांच के लिये हिरासत में अपीलकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नही हो सकती है। इसे ध्यान मे रखते हुए मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों द्वारा समर्थित स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते हुए, सीबीआई द्वारा हो रही देरी से अपीलकर्ता कडी शर्तो पर सुनवाई लंबित रहने तक जमानत के आदेश का हकदार है। (पैरा 19)(293-डी-एफ)

बब्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 11 एस.सी.सी. 569; विवेक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) 9 एस.सी.सी. 443 और संजय चंद्र वी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2012 (1) एस.सी.सी 40; 2011 (13) एस.सी.आर. 309-पर भरोसा किया गया।

मामला कानून संदर्भः

2011 (13) एस.सी.आर. 309 पर भरोसा किया गया पैरा 6

(2005) 11 एस.सी.सी. 569 पर भरोसा किया गया पैरा 17

(2000) 9 एस.सी.सी. 443 पर भरोसा किया गया पैरा 17

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील सं. 348/2012

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद आपराधिक विविध मामला सं. 14224 सन् 2011 मे निर्णय व आदेश दिनांकित 20.10.2011 से उत्पन्न।

मुकुल रोहतगी, कामिनी जैसवाल, आनंद याग्निक, मोहित डी राम, मीनाक्षी अरोड़ा - अपीलार्थी की ओर से।

पी.पी. मल्होत्रा, ए.एस.जी., हरीश चंद्र, पी.के.डे, पद्मलक्ष्मी निगम, अरविंद कुमार शर्मा पी.सतशिवम- प्रतिवादियाas की ओर से।

न्यायालय का निर्णय पारीत किया गया।

पी. सदाशिवम, जे.

1) अनुमति दी गई

2) यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा आपराधिक विविध मामले में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.10.2011 के खिलाफ निर्देशित है। आवेदन संख्या 14224/2011 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।

3)संक्षिप्त तथ्य:-

(ए) यहां अपीलकर्ता विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लिमिटेड का

संयुक्त प्रबंध निदेशक है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (ckn esa **dEiuh** ds :i esa lanfHkZr½ है, जिसे वर्ष 1988 में एक साझेदारी फर्म के रूप में शामिल किया गया था, जिसे बाद में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याय iX के प्रावधानों के तहत 1995। कंपनी कृषि उत्पादों और हीरे सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात के व्यवसाय में लगी हुई है। अपीलकर्ता के अनुसार, कंपनी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोर स्टार ट्रेडिंग हाउस थी, जिसका वर्ष 2005-2006 में लगभग 3935 करोड़ रुपये का कारोबार था। उनका यह भी दावा है कि कंपनी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2003-04 और 2005-06 में व्यापारी निर्यातक श्रेणी के तहत भारत में प्रथम स्थान दिया गया था।

(बी) विभिन्न बैंकों से अग्रिम भुगतान न करने के कारण कंपनी के साथ-साथ प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं। विभिन्न बैंकों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर हैं।

(i) वर्ष 2008 में, पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई में संख्या RC/I(E)/2008/BSFC, मुंबई में एक एफआईआर दर्ज की। उक्त मामले में केवल प्रदीप शुभाषचंद्र मेहता (ए-3) को गिरफ्तार किया गया था. अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा रिमांड नहीं दी गई और एक दिन के भीतर जमानत दे दी गई। इस मामले में अपीलकर्ता को गिरफ्तार

नहीं किया गया था और आरोप पत्र दाखिल करने पर उसे औपचारिक जमानत दे दी गई थी।

(ii) वर्ष 2009 में, यूको बैंक ने सीबीआई में संख्या आरसी 12(ई)/2009 के साथ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें 15.11.2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अपीलकर्ता को 1.11.2010 को गिरफ्तार किया गया और अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया। विभिन्न अवधियों के लिए जमानत.

(iii) विजया बैंक ने भी सीबीआई में संख्या आरसी11(ई)/2008 के साथ एक एफआईआर दर्ज की थी और 26.06.2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलकर्ता को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, उसे जमानत भी दी गई थी।

(iv) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने भी एफआईआर दर्ज कराई है और इसकी जांच चल रही है। अभी तक कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है.

(सी) भारतीय स्टेट बैंक और 17 अन्य बैंकों ने कंपनी को कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से दी गई राशि की वसूली की मांग करते हुए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), अहमदाबाद के समक्ष 2008 का ओए नंबर 11 दायर किया। बैंकों के हितों को सुरक्षित

करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम आदेश पारित होने तक मुकदमा निरर्थक न हो जाए, 28.02.2008 को विज्ञापन-अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं।

(डी) 19.01.2010 को, अपीलकर्ता ने 2010 का सिविल सूट नंबर 145 दायर किया, जिसमें अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष सूचना देने वाले आंध्रा बैंक और अन्य बैंकों के खिलाफ 786 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई। आंध्रा बैंक, जोनल कार्यालय, मुंबई ने भी 19.01.2010 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसे धारा 406, 420, 467, 468 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए सीबीआई बीएस और एफसी/एमयूएम क्रमांक 1(ई)/2010 द्वारा दर्ज किया गया था। , 471 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'IPC') की धारा 120बी के साथ पढ़ा जाए। उक्त एफआईआर के संबंध में, अपीलकर्ता को 31.03.2010 को गिरफ्तार किया गया और 03.04.2010 तक पुलिस हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपीलकर्ता को चिकित्सा आधार पर तीन मौकों पर अस्थायी जमानत दी गई थी। जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने 10.06.2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलकर्ता को आरोपी नंबर 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

(ई) 31.08.2010 को, अपीलकर्ता ने आपराधिक विविध के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर होने के बाद जमानत के लिए

एक आवेदन दायर किया। 2010 का आवेदन संख्या 141 लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।

(एफ) उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आपराधिक विविध दायर किया। आंध्रा बैंक, आंचलिक कार्यालय मुंबई द्वारा दर्ज संख्या 1(ई)/2010 के संबंध में नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन संख्या 11415/2010, जिसे उच्च न्यायालय ने 19.10.2010 को खारिज कर दिया था।

(जी) यूको बैंक द्वारा दर्ज आरसी.12(ई)/2009 में जांच के बाद 15.11.2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अपीलकर्ता को 01.11.2010 को गिरफ्तार किया गया और उसे अस्थायी जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(एच) उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2010 के विरुद्ध, अपीलकर्ता ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या दायर की। इस न्यायालय के समक्ष 2011 का 83 और उसे 29.04.2011 को निपटाया गया और विशेष न्यायालय को मुकदमे को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

(आई) चूंकि मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए सीबीआई ने 02.02.2011 को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जो अपीलकर्ता सहित

सभी आरोपियों को 02.08.2011 को ही जारी किया गया था। चूंकि मुकदमा समाप्त नहीं हुआ, अपीलकर्ता ने आपराधिक विविध दायर किया। विशेष न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत हेतु आवेदन क्रमांक 195 दिनांक 2011. इस बीच, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 15.09.2011 द्वारा विविध. आवेदन संख्या 17/2011 विशेष में। केस नंबर 03/2010 में अपीलकर्ता को चिकित्सीय आपात स्थिति के आधार पर 20.10.2011 तक अस्थायी जमानत दी गई। पुनः 19.10.2011 को अपीलार्थी के स्वास्थ्य को देखते हुए विशेष न्यायालय ने अस्थायी जमानत 30.11.2011 तक बढ़ा दी। दिनांक 27.09.2011 के आदेश के तहत, विशेष न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।

(जे) अपीलकर्ता ने आपराधिक विविध होने के नाते एक आवेदन दायर किया। नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 का आवेदन संख्या 14224 लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उक्त आवेदन में पुनः, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से उपरोक्त अपील दायर की है।

4) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और विद्वान अतिरिक्त श्री पीपी मल्होत्रा को सुना। सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल.

5) इस अपील में विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या

अपीलकर्ता ने नियमित जमानत के लिए मामला बनाया है और क्या उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज करना उचित है।

6) हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि असाधारण मामलों को छोड़कर, इस न्यायालय को आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने/अस्वीकार करने के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें इसी तरह की अन्य कार्यवाहियों में अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में तथ्य और आंकड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं। मौजूदा मामले में, चार आरोपियों में से, ए-1 कंपनी है और अपीलकर्ता-ए-4 कंपनी का संयुक्त प्रबंध निदेशक है। यह विवाद में नहीं है कि ए-2 और ए-3 को चिकित्सा आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी ने इस बात पर प्रकाश डालने के अलावा कि अपीलकर्ता-ए-4 नियमित जमानत का हकदार है, यह भी प्रस्तुत किया कि चिकित्सा अधिकारी सहित प्रमुख डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित उनकी विभिन्न बीमारियों के कारण चिकित्सा आधार पर विचार किया जाना चाहिए। सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी, अहमदाबाद।

7) जहां तक अपीलकर्ता के दावे की योग्यता पर विचार किया जाता है, संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 1 2012 (1) एससीसी 40 में इस न्यायालय के वर्तमान फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा । चूँकि इस निर्णय में, इस प्रकृति के मामले में जमानत देने से संबंधित इस न्यायालय

के सभी पिछले निर्णयों पर विचार किया गया है, इसलिए हमें लगता है कि किसी अन्य पूर्व निर्णय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उन अपीलों को संजय चंद्रा बनाम सीबीआई में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 23.05.2001 के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने अयोग्य कंपनियों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आपराधिक साजिश रची और उनके आचरण से दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भारी नुकसान हुआ। विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, नई दिल्ली ने दिनांक 20.04.2011 के आदेश द्वारा उनके द्वारा दायर जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किए। इसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 23.05.2011 द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

8) संपूर्ण सामग्री, विभिन्न वरिष्ठ वकील के साथ-साथ अपर के तर्कों पर विचार करने के बाद। सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल और इस न्यायालय के पहले के फैसलों को मार्शल करते हुए और यह पता लगाने के

बाद कि मुकदमे में काफी समय लग सकता है और जो अपीलकर्ता जेल में हैं उन्हें हिरासत की अवधि से अधिक समय तक जेल में रहना होगा यदि उन्हें दोषी ठहराया गया था और यह भी ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि अभियुक्तों पर बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया है, अंततः इस अदालत ने गंभीर शर्तें लगाकर सभी अपीलकर्ताओं को जमानत दे दी।

9) अपीलकर्ता द्वारा यहां पहले दायर एसएलपी (आपराधिक) संख्या 83/2011 में इस न्यायालय द्वारा 29.04.2011 को पारित आदेश का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया।

> "हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य दो आरोपियों, अर्थात् ए-2 और ए-3 को मुख्य रूप से बीमारी और बुढ़ापे के आधार पर और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के आधार पर रिहा कर दिया गया था कि मुकदमा एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तीन महीने की अवधि के बाद, हम याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कारण से यदि मुकदमा विद्वान अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुनिश्चित अवधि से अधिक जारी रहता है, तो याचिकाकर्ता विशेष अदालत के समक्ष जमानत आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में विशेष न्यायालय को कानून के अनुसार इस पर विचार करने की अनुमति है। हम विशेष न्यायालय को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के सुझाव के अनुसार मुकदमे को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने का भी निर्देश देते हैं।

10) यद्यपि सुनवाई की अंतिम तिथि पर विद्वान अपर. सॉलिसिटर जनरल ने इस अदालत को आश्वासन दिया कि इसमें शामिल मुद्दों की भयावहता, स्वास्थ्य कारणों, दाखिल याचिकाओं सहित विभिन्न कारणों से सुनवाई की तारीखों पर अभियुक्तों की लगातार अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की अवधि के भीतर मुकदमा पूरा कर लिया जाएगा। आरोपमुक्त करने की याचिका और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत में काम का दबाव, तथ्य यह है कि मुकदमा समाप्त नहीं हो सका। वास्तव में, यह बताया गया है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन ऊपर उल्लिखित विभिन्न कारणों से आरोप तय नहीं किए गए हैं।

11) हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, चारों आरोपियों में से ए-1 एक कंपनी है, ए-2 और ए-3 को

चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी। वर्तमान अपीलकर्ता यानी ए-4 के अनुसार, उन्हें 31.03.2010 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 03.04.2010 से, वह साबरमती सेंट्रल जेल, अहमदाबाद में न्यायिक हिरासत में हैं और 15.09.2011 को, उन्हें 20.10.2011 तक अंतरिम जमानत दी गई थी और फिर 19.10.2011 को, उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए, विशेष न्यायालय ने उनकी अवधि बढ़ा दी। 30.11.2011 तक अंतरिम जमानत. जैसा कि पहले कहा गया है, सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और 10.06.2010 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और आरोप पत्र में लगाए गए अपराध वर्ष 2006 और 2007 के हैं।

12) विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी ने हमें SARFESI अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट के साथ-साथ क्त्ज् द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों के बारे में बताने के बाद बताया कि अपीलकर्ता और उनकी कंपनियों/फर्मों की पूरी संपत्ति कोर्ट/ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत कुर्क की गई थी। उनके अनुसार, बैंकों के साथ लेन-देन करने से पहले, उन सभी संपत्तियों को गिरवी रखा गया है और आज की तारीख में, अपीलकर्ता कोर्ट/ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना उन संपत्तियों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैंकों को देय धन, यदि कोई हो, की वसूली में कोई कठिनाई नहीं होगी। उपरोक्त तथ्यात्मक जानकारी के अतिरिक्त, यह

बताया गया कि इस न्यायालय के 29.04.2011 के आदेश के बाद मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह भी बताया गया है कि मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि अपीलकर्ता को केवल 02.08.2011 को एक पूरक आरोप पत्र दिया गया है। यह भी बताया गया कि आज तक आरोप तय नहीं किया गया है। यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अभियोजन पक्ष ने 286 दस्तावेजों पर भरोसा किया है और अपने द्वारा दायर आरोप पत्र में 47 गवाहों को सूचीबद्ध किया है।

13) उपरोक्त जानकारी के अलावा, श्री रोहतगी ने यह भी बताया है कि 31.03.2010 को अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के समय, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और उच्च रक्तचाप और अम्लता का निदान किया गया था। उनके मुताबिक अस्पताल ने डिस्चार्ज कार्ड में कोई अन्य बीमारी नहीं लिखी है. जबकि, जब वह 31.03.2010 से हिरासत में था, असामान्य हड्डी के उभार की सर्जरी के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को अपने बाएं हाथ में 40 प्रतिशत स्थायी आंशिक विकलांगता का सामना करना पड़ा। यह भी उजागर किया गया है कि हिरासत में अनियंत्रित उच्च रक्तचाप के कारण अपीलकर्ता की दाहिनी आंख में 30 प्रतिशत अंधापन हो गया है और कांच के रक्तस्राव के लिए सर्जरी हुई है। यह भी बताया गया है कि रक्तस्राव दोबारा होने पर डॉक्टरों ने उनकी आंखें बचाने के लिए दूसरी सर्जरी की सलाह दी है। हालाँकि, उनके अनुसार, पहली सर्जरी के बाद भी अनियंत्रित

उच्च रक्तचाप जारी रहने और इसके परिणामस्वरूप वाहिका में बार-बार रक्तस्राव होने के कारण उक्त सर्जरी नहीं की जा सकी। यह भी बताया गया है कि 29.04.2011 को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद, हिरासत में रहते हुए अपीलकर्ता को प्रतिरोधी पीलिया हो गया है जिसके लिए लंबे समय तक गहन उपचार की आवश्यकता है। ऐसे अवरोधक पीलिया के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता अन्य आवश्यक सर्जरी कराने में भी असमर्थ है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया है कि अपीलकर्ता अब सुनने की क्षमता खोने की विकलांगता से पीड़ित है जिसे केवल सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। उपरोक्त दावे के समर्थन में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में रखे गए हैं। इसके अलावा, श्री रोहतगी ने हमारा ध्यान सेंट्रल जेल अस्पताल, साबरमती, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 07.08.2011 के प्रमाण पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी के अनुसार भी, अपीलकर्ता विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। प्रमाणपत्र में बताई गई बीमारियाँ इस प्रकार है।

"बाहर नहीं. एसीजेडी/346/2011

केंद्रीय कारागार अस्पताल

साबरमती, अहमदाबाद

दिनांक:- 07.08.2011

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक शुभाष मेहता सेंट्रल जेल, अहमदाबाद के कैदी नंबर 4077 के विचाराधीन कैदी हैं।

उन्हें लगातार सीने में दर्द, सुस्ती, सीने में भारीपन, घबराहट, चक्कर आना, क्रोनिक आरटी की शिकायत है। पेट में हाइपोकॉन्ड्रिअक दर्द, रक्तस्राव पी/आर। दृष्टि का धुंधलापन Rt- आरटी का नेत्र दृष्टि विचलन। 1-1/2 साल से आँख बाहर की ओर है।

रोगी को 4 साल से अनियंत्रित रक्तचाप, 6 महीने से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पीलिया और बवासीर के साथ एनो में फिशर का ज्ञात मामला है। मरीज को नेत्र विभाग भेजा गया। 02.02.2011 को सिविल अस्पताल अहमदाबाद, डॉ. केपीएस (नेत्र शल्य चिकित्सा इकाई) द्वारा देखा गया और आरटी के रूप में निदान किया गया। नेत्र मोतियाबिंद, आरटी में तीसरा तंत्रिका पक्षाघात। नेत्र में कांच के रक्तस्राव, धब्बेदार अधरू पतन और अंधेपन का प्रतिशत 30 है। सीटी रिपोर्ट पेट के फैटी प्रतिस्थापन और आरटी पर सुपरेक्टस मांसपेशी के डिस्टल टेंडिनस सम्मिलन का सुझाव देती है। ओर 25.03.2011 को, मरीज का निजी अस्पताल में कांच के रक्तस्राव का ऑपरेशन किया गया था, हालांकि 17.06.2011 को आंखों की

जांच में अनियंत्रित रक्तचाप और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पीलिया के कारण ताजा कांच का रक्तस्राव पाया गया।

27.09.2010 को, मरीज को आगे की जांच और उपचार के लिए यूएम मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर भेजा गया, जहां उसकी इकोकार्डियोग्राफी की गई और रिपोर्ट से पता चला कि सामान्य एलवी साइड और निष्पक्ष एलवी फ़ंक्शन ने एलवी अनुपालन और 55 प्रतिशत कम कर दिया।

08.01.2011 को मरीज का नर्व पैरेसिस का ऑपरेशन किया गया। इसने बांह की कलाई और लेफ्टिनेंट उलनर तंत्रिका का न्यूरोलिसिस किया और नियमित फिजियोथेरेपी की सलाह दी। दिनांक 26.02.2011 सीडीएमओ, सरकार। जनरल हॉस्पिटल, सोला ने प्रमाणित किया कि मरीज शारीरिक रूप से अक्षम है और उसके ऊपरी अंग के संबंध में 40 प्रतिशत स्थायी शारीरिक हानि है। मरीज को इलाज कर रहे डॉक्टर की निगरानी में लगातार निगरानी में रखना होगा और फॉलोअप करना होगा। किसी भी गंभीर जटिलता से बचने के लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है।

यह प्रमाणपत्र सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी में उपलब्ध केस रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाता है।

दिनांक: 07.08.2011

जगह: अहमदाबाद सेंट्रल जेल

एसडी/-

मेडिकल अधिकारी

सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी,

अहमदाबाद।"

14) उपरोक्त प्रमाण पत्र के अलावा, उसी चिकित्सा अधिकारी, सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी, अहमदाबाद ने 08.09.2011 को एक और प्रमाण पत्र जारी किया है। उक्त प्रमाणपत्र में, उन्हीं शिकायतों को दोहराने के बाद अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अपनी कई समस्याओं के लिए विशेषज्ञ, सुपर विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञ से उपचार की आवश्यकता है।

15) सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी, अहमदाबाद के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त जानकारी अपीलकर्ता के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में उसके दावे का समर्थन करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, एएसजी को श्री पीपी मल्होत्रा ने सीबीआई की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के विभिन्न विवरणों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के

साथ अपीलकर्ता की वित्तीय भागीदारी की भयावहता को देखते हुए, यह उचित नहीं है। उसे जमानत पर रिहा करो.

16) हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीबीआई और बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल, मुंबई के जवाबी हलफनामे में उल्लिखित सभी विवरणों का अध्ययन किया है। अपीलकर्ता ने उन तथ्यात्मक विवरणों को अस्वीकार करते हुए प्रत्युत्तर हलफनामा भी दायर किया है। इस समय, अधिक विवरण में जाना अनावश्यक है। पहले के आदेश में, हमने तीन महीने के भीतर मामले को पूरा करने के एएसजी के आश्वासन को नोट किया है। माना कि विभिन्न कारणों से इसे पूरा नहीं किया जा सका। यह भी विवाद में नहीं है कि यद्यपि आरोप पत्र और अतिरिक्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन्हें अनुमोदित और तैयार नहीं किया गया है। इस बीच, विभिन्न तारीखों पर कुछ आरोपियों की अनुपस्थिति के अलावा, चिकित्सा आधार सहित कुछ कारणों से, यहां अपीलकर्ता ने उन्मुक्त करने के लिए एक याचिका भी दायर की है। इसके अलावा, यहां तक कि सीबीआई द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में भी कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किए थे और वे सुनवाई और निपटान के लिए लंबित हैं और आगे माधो मर्चेंटाइल बैंक मामला भी है। विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई

चल रही है और इसके अलावा, सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामला भी उसी अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। यह स्पष्ट है कि उक्त विशेष सीबीआई अदालत पर अत्यधिक बोझ है और अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई भारी सामग्री को देखते हुए, निस्संदेह मुकदमे में लंबा समय लग सकता है।

17) इस न्यायालय का मानना है कि जब मुकदमे में देरी हो तो आरोपी को जमानत दे दी जानी चाहिए। (देखें बब्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य,2 (2005) 11 एससीसी 569 , विवेक कुमार बनाम राज्य यूपी,3 (2000) 9 एससीसी 443) लेकिन इसे यंत्रवत् सभी मामलों में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

18) जमानत देने वाले न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, न कि किसी सामान्य मामले के रूप में। हालाँकि जमानत देने के चरण में, सबूतों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेष रूप से, जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। जमानत देने वाले न्यायालय को अन्य परिस्थितियों के अलावा, कारकों पर भी विचार करना होगा जैसे क) दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की

गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति; ख) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका और; ग) आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि। इसके अलावा, गैर-जमानती अपराध में जमानत देने की याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता के अलावा, आरोपी के न्याय से भागने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना पर भी ध्यान देना होगा। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है और इस तथ्य पर भी कि अपीलकर्ता 31.03.2010 से हिरासत में है, अंतरिम जमानत की अवधि को छोड़कर, अर्थात 15.09.2011 से 30.11.2011 तक, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर ध्यान देते हुए कोई बाहरी सीमा तय करना उपयुक्त मामला नहीं है। इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल हिरासत में रखा जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। जैसा कि संजय चंद्रा के मामले (सुप्रा) में प्रस्तुत किया गया है, हम भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं अर्थात क्या उपरोक्त कारणों से वर्तमान मामले में त्वरित सुनवाई संभव है।

19) जैसा कि पहले देखा गया है, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान अपीलकर्ता पर अन्य लोगों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक

अपराधों का आरोप लगाया गया है। साथ ही, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हालांकि जांच एजेंसी ने जांच पूरी कर ली है और अतिरिक्त आरोप पत्र सहित आरोप पत्र जमा कर दिया है, लेकिन तथ्य यह है कि आवश्यक आरोप तय नहीं किए गए हैं, इसलिए अपीलकर्ता की उपस्थिति आगे की जांच के लिए हिरासत में रखना आवश्यक नहीं हो सकता है। उसी के मद्देनजर, मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी के प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों द्वारा समर्थित स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता कड़ी शर्तों पर मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत के आदेश का हकदार है। सीबीआई के हितों की रक्षा करें।

20) ऊपर बताई गई बातों के आलोक में, अपीलकर्ता को निम्नलिखित शर्तों पर विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, अहमदाबाद की संतुष्टि के लिए दो सुदृढ़ जमानत 5 लाख के साथ एक बांड निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

i) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

ii) अपीलकर्ता को मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों पर

अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा, किसी भी कारण से अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने के लिए उसे अदालत और सीबीआई के संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी और उचित कार्रवाई करनी होगी आवेदन कि उसे वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है;

iii) अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, सरेंडर करना होगा, यदि उसने पहले से सरेंडर नहीं किया है और यदि वह उसका धारक नहीं है, तो उसे एक हलफनामा दायर करना होगा;

iv) यदि उसने पहले ही विशेष न्यायाधीश, सीबीआई के समक्ष पासपोर्ट जमा कर दिया है, तो उस तथ्य को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

v) यदि अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो हमारे द्वारा पारित वर्तमान आदेश को संशोधित करने/वापस लेने के लिए उचित आवेदन करने की स्वतंत्रता सीबीआई को दी जाती है।

21) उपरोक्त शर्तों पर अपील का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री, सरिता स्वामी,(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।